न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री बाबुलाल जाट (**RAS**)

राजस्व वाद संख्या : 08 / 2023 **GCMS 2023/16**

वादीगण :

स्व. शारदा देवी पत्नी स्व. रवीन्द्र कुमार के वारिसान

1. कनिष्ट कुमार पुत्र स्व. श्री रविन्द्र कुमार, आयु56 वर्ष, जाति ब्राह्मण, निवासी धनकोली हाउस के पीछे, कुचामन शहर,तहसील-कुचामन, जिला — नागौर (राजस्थान)
2. सुधा जोशी पुत्रीस्व. श्री रविन्द्र कुमार पत्नी श्री सत्यनारायण जोशी, आयु 55 वर्ष, जाति ब्राह्मण, निवासी मुरलीपुरा, जयपुर (राजस्थान)
3. दुर्गा प्रसाद शर्मा पुत्र स्व. श्री रविन्द्र कुमार, आयु 46 वर्ष, जाति ब्राह्मण, निवासी कुचामन सिटी हाल निवासी प्रताप नगर, जयपुर (राजस्थान)
4. अनुसूया पुत्रीस्व. श्री रविन्द्र कुमार पत्नी श्री रमेश शर्मा , आयु 45 वर्ष, जाति ब्राह्मण, निवासी पादूंकलां तहसील मेड़ता जिला नागौर (राजस्थान)
5. मधु जोशी जोशी पुत्रीस्व. श्री रविन्द्र कुमार पत्नी श्री कैलाश चन्द जोशी, आयु 44 वर्ष, जाति ब्राह्मण, निवासी मुरलीपुरा, जयपुर (राजस्थान)

बनाम

प्रतिवादीगण :

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, तह.-कुचामन, जिला नागौर (राजस्थान)
2. पटवारी हल्का कुचामन सिटी, तहसील-कुचामन, जिला — नागौर (राजस्थान)

वाद-पत्र बाबत घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88एवं 188 राज.का. अधि. 1955

उपस्थित :– श्री अशोकपुरी अधिवक्ता वादीगण की ओर से।
राज पैरोकार तहसीलदार कुचामनसिटी प्रति. 1

निर्णय

दिनॉक :– 03/02/2023

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद संक्षेप में इस प्रकार से है करबा कुचामन सिटी, तहसील कुचामन की सरहद में कृषि भूमि गत खसरा संख्या 570 रकबा 193 बीघा 17 बिस्वा प्रथम भू-प्रबन्ध कार्यवाही सम्वत् 2008 की अवधि के दौरान बोदू वल्द उदा, बालू वल्द चूना कौम कुम्हार 10 बीघा खातेदारी तथा शेष 183 बीघा 17 बिस्वा मकबूजा खुद दर्ज रही है। उक्त कृषि भूमि गत खसरा संख्या 570 रकबा 193 बीघा 17 बिस्वा में वादीगण की माताजी श्रीमती शारदा देवी पत्नी श्री रविन्द्र कुमार द्वारा रकबा 16 बीघा 12 बिस्वा भूमि तत्कालीन विक्रेता अब्दुल रज्जाक पुत्र लाबदी खां से खरी[illegible]। तत्कालीन विक्रेता अब्दुल रज्जाक पुत्र लाबदी खां ने उक्त 16 बीघा 12 बिस[illegible] हीरा, मोती, सोनापुत्र छोटू से खरीद की जिसका नामान्तरण संख्या 4[illegible] है। उक्त भूमि सूण्डा[illegible] मोती, सोना

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.02.13 14:51:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

को जरिये विरासत में छोटू पुत्र नून्दा के स्वर्गवास के बाद प्राप्त हुयी थी। छोटू पुत्र नून्दा गत खसरा संख्या 570 बरवक़्त जागीर रकबा 16 बीघा 12 बिस्वा भूमि पर काबिज था तथा काश्त करता था अर्थात जागीरदार के उप-कृषक (Sub-Tenant) था। इसलिए तत्कालीन विक्रेता सूण्डा, हीरा, मोती, सोना के पिता छोटू पुत्र नून्दा को धारा 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गए तथा सम्वत् 2022-2025 में छोटू पुत्र नून्दा को बतौर खातेदार दर्ज किया गया। इस प्रकार By Operation of Law राजस्व अभिलेख में छोटू पुत्र नून्दा बतौर खातेदार दर्ज है तथा छोटू पुत्र नून्दा के फौत होने से उसके विधिक वारिसान सूण्डा, हीरा, मोती, सोना पुत्र छोटू बतौर खातेदार राजस्व अभिलेख में दर्ज किये गए तथा सूण्डा, हीरा, मोती, सोना पुत्र छोटू द्वारा खसरा संख्या 570 में स्थित अपना सम्पूर्ण हिस्सा रकबा 16 बीघा 12 बिस्वा तत्कालीन विक्रेता रज्जाक पुत्र लाबदी खां को जरिये पंजीकृत बेचान कर दिया गया एवं तत्कालीन विक्रेता रज्जाक पुत्र लाबदी खां द्वारा द्वारा वादीगण की माता स्व. श्रीमती शारदा देवी पत्नी स्व. श्री रविन्द्र कुमार को जरिये पंजीकृत बेचान कर दिया गया, जिसका नामान्तरण संख्या 471 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। द्वितीय भू-प्रबन्ध कार्यवाही सन् 1986-90 की अवधि के दौरान गत खसरा संख्या 570 के नवीन खसरा संख्या 2262 रकबा 0.0100 हेक्टेयर, खसरा संख्या 2257 रकबा 0.3400 हेक्टेयर,खसरा संख्या 2263 रकबा 3.6900 हेक्टेयर,खसरा संख्या 2264 रकबा 0.0500 हेक्टेयर, खसरा संख्या 2265 रकबा 0.2100 हेक्टेयर, खसरा संख्या 2266 रकबा 3.4500, खसरा संख्या 2270 रकबा 0.2000 हेक्टेयर, खसरा संख्या 2271 रकबा 0.2000 हेक्टेयर,खसरा संख्या 2272 रकबा 0.7400 हेक्टेयर,खसरा संख्या 2273 रकबा 0.3100 हेक्टेयर,खसरा संख्या 2274 रकबा 2.9700 हेक्टेयर, खसरा संख्या 2275 रकबा 0.0700 हेक्टेयर,खसरा संख्या 2276 रकबा 0.0500 हेक्टेयर,खसरा संख्या 2279 रकबा 0.2400 हेक्टेयर,खसरा संख्या 2304 रकबा 0.0200 हेक्टेयर,खसरा संख्या 2305 रकबा 0.0300 हेक्टेयर,खसरा संख्या 2306 रकबा 2.0900 हेक्टेयर,खसरा संख्या 2307 रकबा 1.2700 हेक्टेयर,खसरा संख्या 2308 रकबा 0.1900 हेक्टेयर,खसरा संख्या 2309 रकबा 2.4200 हेक्टेयर,खसरा संख्या 2310 रकबा 3.6700 हेक्टेयर,खसरा संख्या 2311 रकबा 0.0100 हेक्टेयर, खसरा संख्या $\frac{2285}{2312}$ रकबा 0.0900 हेक्टेयर,खसरा संख्या $\frac{2614}{2309}$ रकबा 0.7000 हेक्टेयर, खसरा संख्या 2335 रकबा 0.3200 हेक्टेयर कुल खसरा संख्या 25 कुल रकबा 23.3400 हेक्टेयर कायम हुए हैं। गत खसरा संख्या 570 में से 16 बीघा 12 बिस्वा भूमि छोटू पुत्र नून्दा तथा उसके फौत हो जाने के बाद उसके विधिक वारिसान सूण्डा, हीरा, मोती, सोना पुत्र छोटू द्वारा रज्जाक पुत्र लाबदी खां तथा रज्जाक पुत्र लाबदी खां द्वारा शारदा पत्नी स्व. रवि[illegible] पक्ष में विक्रय-पत्र निष्पादन करने तथा शारदा पत्नी स्व. रविन्द्र कुमार के फौत[illegible] 16 बीघा 12 बिस्वा के सम्बन्ध में

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.02.13 14:51:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

नामान्तरकरण स्वीकृत होकर खातेदारी स्व. शारदा देवी के विधिक वारिसान वादीगण संख्या 1 से 5 के नाम खसरा संख्या 2262, 2263, 2274, 2276, 2279, 2304, 2305, 2306, 2307, 2309, 2311 कुल खसरा संख्या 11 कुल रकबा 12.9000 हेक्टेयर में विधिवत् दर्ज हो गयी। इस प्रकार वादीगण की उक्त खसरान में खातेदारी दर्ज चली आ रही है। दिनांक 01/12/2022 को पटवारी हल्का से हमारी खातेदारी भूमि का नाप-चौक कर सीमा ज्ञान हेतु निवेदन किया गया तो पटवारी हल्का ने अवगत करवाया की *"यह भूमि तो राजकीय दर्ज है जिसका आपको सीमा ज्ञान नहीं करवाया जा सकता है, आपको इस भूमि पर से कब्जा हटाना पड़ेगा अन्यथा राजस्व विभाग द्वारा आपके खिलाफ बेदखली की कार्यवाही कर कब्जा हटाया जाएगा।"* तत्पश्चात पटवारी हल्का, तहसील कार्यालय, जिला कार्यालय से वांछित नकलें आदि प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ कि कस्बा कुचामन सिटी के नामान्तरकरण संख्या 1463 दिनांक 04/02/2003 के द्वारा खसरा संख्या 2262, 2263, 2274, 2276, 2279, 2304, 2305, 2306, 2307, 2309, 2011 कुल खसरा संख्या 11 कुल रकबा 12.9000 हेक्टेयर भूमि में से वादीगण की माताजी स्व. श्रीमती शारदा देवी पत्नी स्व. श्री रविन्द्र कुमार का नाम हटा कर सीलिंग में से प्राप्त सिवाय चक भूमि के रूप में दर्ज कर दी गयी। कस्बा कुचामन सिटी के नामान्तरकरण संख्या 1463 दिनांक 04/02/2003 के द्वारा गलत रूप से मन-मर्जी पूर्वक वादीगण की खातेदारी भूमि को वादीगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिए बिना वादीगण (माताजी स्व. श्रीमती शारदा देवी पत्नी स्व. श्री रविन्द्र कुमार) गैर मौजूदगी में राजकीय दर्ज कर दी गयी जबकि सीलिंग प्रकरण में ना तो वादीगण (Assessee) निर्धारिती है ना ही सीलिंग प्रकरण में पक्षकार रहे हैं एवं ना ही वादीगण की भूमि सीलिंग से प्रभावित भूमि रही है। माननीय न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर नागौर के निर्णय दिनांक 19/04/2002 के पद संख्या 5 (5) में राजा प्रताप सिंह की भूमि के सम्बन्ध में सीलिंग का आधार सम्वत् 2026-2029 लिया गया है। सम्वत् 2026-2029 से पूर्व वादीगण की भूमि खसरा संख्या 570 में से 16 बीघा 12 बिस्वा भूमि छोटू पुत्र नून्दा के नाम दर्ज थी तथा छोटू पुत्र नून्दा सम्वत् 2021-2025 की खतौनी में खसरा संख्या 570 की 16 बीघा 12 बिस्वा भूमि का खातेदार दर्ज था। वादीगण माताजी स्व. श्रीमती शारदा देवी पत्नी स्व. श्री रविन्द्र कुमार तत्कालीन खातेदार छोटू पुत्र नून्दा को खसरा संख्या 570 की भूमि किसी भी रूप में तत्कालीन जागीरदार राजा प्रताप सिंह द्वारा हस्तानांतरित नहीं की गयी थी बल्कि छोटू पुत्र नून्दा को खसरा संख्या 570 की 16 बीघा 12 बिस्वा भूमि की खातेदारी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 19 के तहत By Operation Of Law प्राप्त हुयी थी तथा सुण्डा, हीरा, मोती, सोना पुत्र छोटू की उक्त भूमि में खातेदारी छोटू पुत्र नून्दा की फौतगी पर जरिये विरासत प्राप्त हुयी थी तथा तत्कालीन विक्रेता रज्जाक पुत्र लाबदी खां द्वारा जरिये पंजीकृत बेचाननामा सुण्डा, हीरा, मोती, सोना पुत्र छोटू से खरीद की गयी तथा रज्जाक

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.02.13 14:51:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पुत्र लाबदी खां द्वारा उक्त भूमि वादीगण की माता श्रीमती शारदा देवी को बेचान की गयी। इस प्रकार वादीगण माताजी स्व. श्रीमती शारदा देवी पत्नी स्व. श्री रविन्द्र कुमार द्वारा खसरा संख्या 570 में से क्रय की गयी भूमि कभी भी किसी भी रूप में सीलिंग भूमि नहीं रही। वादीगण माताजी स्व. श्रीमती शारदा देवी के फौत होने के पश्चात् उनके विधिक वारिसान वादीगण संख्या 1 से 5 उनके उत्तराधिकारी होने से उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार हैं। वादीगण की विधिपूर्वक दर्जशुदा खातेदारी भूमि को अविधिपूर्वक खातेदारी से नाम हटाकर राजकीय दर्ज कर दी गयी जबकि वादीगण व उनकी माता स्व. श्रीमती शारदा देवी, व तत्कालीन विक्रेता रज्जाक पुत्र लाबदी खां व तत्कालीन विक्रेतासूण्डा, हीरा, मोती, सोना पुत्र छोटू एवं उनके पिता छोटू पुत्र नून्दा 50 वर्षों से भी अधिक समय से शांतिपूर्वक कब्जा काश्त करते आ रहे हैं तथा खरीद के बाद से भूमि सुधार हेतु इस भूमि पर लाखों रुपये खर्च कर उपजाऊ बनाया है एवं इसी भूमि में वादीगण की रहवासी ढाणी बनी हुयी है जबकि तथाकथित सीलिंग प्रकरण में ना तो वादीगण पक्षकार रहे है और ना ही निर्धारिती रहे हैं तथा वादीगण व उनकी माता को कभी भी कोई भी नोटिस जारी नहीं हुआ है। वादीगण की सुनवाई किये बिना ही वादीगण के व उनकी माता जायज अधिकारों पर कुठाराघात करते हुए वादीगण की माता शारदा देवी की खातेदारी के अंकन को समाप्त कर दिया जो वादीगण के जायज अधिकारों पर निष्प्रभावी व शून्य है। अतः वादीगण कस्बा कुचामन के खसरा संख्या 2306 रकबा 2.0900 हेक्टेयर सम्पूर्ण व खसरा संख्या 2307 रकबा 1.2700 हेक्टेयरमें से 0.4462 हेक्टेयर कुल रकबा 2.5362 हेक्टेयर की पुनः खातेदारी दर्ज करवाने के हक़दार हैं। प्रतिवादी संख्या 2 पटवारी हल्का कुचामन द्वारा दिनांक 01/01/2023 से निरन्तर वादीगण को कब्जा हटाने व बेदख़ली की धमकी दी जा रही है कि इस राजकीय दर्ज भूमि से राजस्व विभाग के प्रतिनिधिगण द्वारा कब्जा हटाने की व बेदखली कीं कार्यवाही की जावेगी जबकि कदीमी जायज कब्जा वादीगण का है जिसके फलस्वरूप वादीगण प्रतिवादीसंख्या 1 तथा 2 के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा पाने के हक़दार हैं। विनाय दावा दिनांक 01/01/2023 को प्रतिवादी संख्या 2 पटवारी हल्का कुचामन द्वारा उक्त भूमि का नाप-चौक तथा सीमा-ज्ञान करने से इनकार करने पर व रिकॉर्ड में हुए नामान्तरकरण की जानकारी देने पर दिनांक 02/01/2023 को जिला अभिलेखागार नागौर से आवश्यक नकलें प्राप्त करने पर प्रतिवादी संख्या 2 पटवारी हल्का कुचामन द्वारा उक्त भूमि को सरकारी भूमि मानकर वादीगण की बेदखली करवाने की धमकी दिए जाने पर ब-मुकाम कुचामन तहसील कुचामन सिटी उत्पन्न हुआ है। प्रतिवादी संख्या 1 राज्य सरकार के प्रतिनिधि होने से व प्रतिवादी संख्या 2 स्थानीय पटवारी हल्का होने व उनके द्वारा बेदखली की धमकी दिए जाने से आवश्यक पक्षकार प्रतिवादी संयोजित किये गये हैं। प्रतिवादीगण संख्या 1 तथा 2 राज्य सरकार के प्रतिनिधि है जिनके विरुद्ध [illegible] संहिता-1908 की धारा 80 (1) के

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.02.13 14:51:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

अधीन 2 माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक है परन्तु वादीगण का वाद अत्यन्त आवश्यक प्रकृति का है अतः नोंटिस की अवधि के दौरान प्रतिवादीगण संख्या 1 एवं 2 द्वारा वादीगण की खातेदारी भूमि में से बेदखल कर दिया गया तो वादीगण का वाद लाने का मकसद ही समाप्त हो जाएगा। अतः प्रतिवादीगण संख्या 1 तथा 2 के विरुद्ध बिना दीवानी प्रकिया संहिता-1908 की धारा 80 (1) के नोटिस दिए वाद लाने की अनुमति प्राप्त कर उसी अनुमति के तहत यह वाद पेश है। वादी की इस्तदुआ है कि कुचामन के खसरा संख्या 2262, 2263, 2274, 2276, 2279, 2304, 2305, 2306, 2307, 2309, 2011 कुल खसरा संख्या 11 कुल रकबा 12.9000 में से खसरा संख्या 2306 रकबा 2.0900 हेक्टेयर सम्पूर्ण व खसरा संख्या 2307 रकबा 1.2700 हेक्टेयरमें से 0.4462 हेक्टेयर कुल रकबा 2.5362 हेक्टेयर भूमि के वादीगण खातेदार काश्तकार हैं। इस आशय के खातेदारी अधिकारों की घोषणा की डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जावे । उक्त खसरा संख्या 1463 दिनांक 04/02/2003 के द्वारा वादीगण के विरुद्ध की गयी प्रविष्टि व तत्पश्चात् की जमाबंदी में हुए वादीगण के खातेदारी अधिकारों के सरकारी इन्द्राज को वादीगण के अधिकारों पर निष्प्रभावी व शून्य घोषित किया जावे तथा वादीगण के नाम पुनः खातेदारी तमाम रिकॉर्ड ऑफ़ राइट्स दर्ज करने के आदेश प्रतिवादी संख्या 1 तहसीलदार कुचामन सिटी को फरमाए जावें। उक्त खसरा संख्या 2306 रकबा 2.0900 हेक्टेयर सम्पूर्ण व खसरा संख्या 2307 रकबा 1.2700 हेक्टेयरमें से 0.4462 हेक्टेयर कुल रकबा 2.5362 हेक्टेयर वाके कुचामन पर के वादीगण के कब्जा काश्त व अधिकारों में किसी भी प्रकार का दखल ना तो प्रतिवादी संख्या 1 व 2 स्वयं डाले और ना ही अपने एजेंट या प्रतिनिधियों से डलवाए इस आशय की डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जावे।

वाद वादीगण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादी सं. 1 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत हुआ, प्रतिवादी सं. 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे, जिससे उनके विरुद्ध एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रतिवादी सं. 1 ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि मिसल बंदोबस्त सम्वत 2008 से 2027 में कुचामन के खसरा नम्बर 570 रकबा 193 बीघा 17 बिस्वा बोदू वल्द उदा, बालू वल्द चूना, दूला वल्द मुन्ना कौम कुम्हार 10 बीघा खातेदारी मकबूजा खुद 183 बीघा 17 बिस्वा दर्ज है, जमाबंदी सम्वत 2030–2033 के विशेष विवरण में नामान्तरकरण सं. 438 एवं 471 के द्वारा परिवर्तनो का विवरण दर्ज है, शेष कथन वादी स्वयं सिद्व करे, मिलान क्षेत्रफल अनुसार स्वीकार है, नामा. सं. 1463 के द्वारा भूमि सीलिंग में अधिग्रहण की जाकर विधिवत रूप से राजकीय दर्ज की गई है, नामान्तरकरण सं. 1463 जो कि सिलिंग प्रकरण सं. 47/87 सरकार बनाम प्रतासिंह में पारित आदेश 19.04.2002 की पालना [illegible] है, न्यायालय अपर कलक्टर नागौर द्वारा सिलिंग में अधिग्रहण के आदेश 19.04.2[illegible] पा[illegible] किया गया था, वर्तमान में भूमि राजकीय दर्ज है, नामान्तरकरण संख्या 1463 [illegible] के आदेश से दर्ज किया जाकर भूमि राजकीय दर्ज की गई है वाद [illegible] काबिल खारिज है अतः खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.02.13 14:51:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उपरोक्त जवाब दावा एवं वाद में उल्लेखित तथ्यों के आधार पर निम्न प्रकार से तनकियात कायम की गई :–

तनकियात

1. आया वादीगण ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 2306 रकबा 2.09 हैक्टर सम्पूर्ण, खसरा नम्बर 2307 रकबा 1.27 हैक्टर में से 0.4462 हैक्टर कुल रकबा 2.5362 हैक्टर की खातेदारी कब्जा सुदा भूमि में बिना सुने सीधे ही निर्णय पारित कर खातेदारी गलत रूप से सिवाय चक कर दी गई है जिसको पुनः अपने नाम खातेदारी दर्ज करवाये जाने के मुश्तहक है ?

जिम्मे वादीगण

2. आया प्रतिवादी सं. 1 ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि का जरिये नामा. सं. 1463/09.02.2003 निर्णय दिनॉक 19.04.2002 अनुसार सीलिंग प्रकरण सं. 47/87 राज्य सरकार बनाम श्री प्रतापसिंह में न्यायालय अपर कलक्टर महोदय नागौर के निणर्य दिनॉक 19.04.2002 के की पालना मे सिवाय चक दर्ज की गई है, इसलिए वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र काबिल खारिज होने से खारिज फरमाया जावे ?

जिम्मे प्रति. 1

अनुतोष ।

दस्तावेजी साक्ष्य में वादीगण की ओर से जमाबंदी नकल सम्वत 2020–2023, 2024–2027, 2028–2031, 2035–2038, 2039–2042 एवं चालू जमाबंदी नकल, नामान्तरकरण सं. 140 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से नामा. सं. 1463 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की।

मौखिक साक्ष्य में वादी द्वारा शपथ–पत्र प्रस्तुत किया। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा मौखिक साक्ष्य में किसी प्रकार का साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई, वादीगण अधिवक्ता ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए उपरोक्त वादग्रस्त भूमि पुनः उनकी खातेदारी में दर्ज किये जाने का कथन किया है। प्रतिवादी सं. 1 राज पैरोकार तहसीलदार कुचामन ने वाद खारिज किये जाने का कथन किया है। प्रकरण का अवलोकन किया गया। निर्णय तनकीवार निम्नवत है :–

तनकी सं. 1– उक्त तनकी संख्या एक को साबित करने का भार वादीगण पर रहा। जिन्होने अपने समर्थन में जमाबंदी नकले, नामा. की नकले प्रस्तुत की। मिलान क्षेत्रफल ग्राम कुचामनसिटी की प्रति अनुसार कुचामन के खसरा नम्बर 570 से नये खसरा नम्बर काफी बने है जिसमें वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के खसरा नम्बर खसरा संख्या 2262 रकबा 0.0100 हेक्टेयर, खसरा संख्या 2257 रकबा 0.3400 हेक्टेयर,खसरा संख्या 2263 रकबा 3.6900 हेक्टेयर,खसरा संख्या 2264 रकबा 0.0500 हेक्टेयर, खसरा संख्या 2265 रकबा 0.2100 हेक्टेयर, खसरा संख्या 2266 रकबा 3.4500, खसरा संख्या 2270 रकबा 0.2000 हेक्टेयर, खसरा संख्या 2271 रकबा 0.2000 हेक्टेयर,खसरा संख्या 2272 रकबा 0.7400 हेक्टेयर,खसरा संख्या 2273 रकबा 0.[illegible] हेक्टेयर,खसरा संख्या 2274 रकबा 2.9700 हेक्टेयर, खसरा संख्या 2275 रकबा 0.0700 हेक्टेयर,खसरा संख्या 2276 रकबा 0.0500 हेक्टेयर,खसरा संख्या 2279 रकबा 0.2400 हेक्टेयर,खसरा संख्या 2304 रकबा 0.0200 हेक्टेयर,खसरा संख्या 2305

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.02.13 14:51:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

रकबा 0.0300 हेक्टेयर,खसरा संख्या 2306 रकबा 2.0900 हेक्टेयर,खसरा संख्या 2307 रकबा 1.2700 हेक्टेयर,खसरा संख्या 2308 रकबा 0.1900 हेक्टेयर,खसरा संख्या 2309 रकबा 2.4200 हेक्टेयर,खसरा संख्या 2310 रकबा 3.6700 हेक्टेयर,खसरा संख्या 2311 रकबा 0.0100 हेक्टेयर, खसरा संख्या $\frac{2285}{2312}$ रकबा 0.0900 हेक्टेयर,खसरा संख्या $\frac{2614}{2309}$ रकबा 0.7000 हेक्टेयर, खसरा संख्या 2335 रकबा 0.3200हेक्टेयर कुल खसरा संख्या 25 कुल रकबा 23.3400 हेक्टेयर कायम हुए हैं। जिसमे वादी की भूमि 2262, 2263, 2274, 2276, 2279, 2304, 2305, 2306, 2037, 2309, 2311 कुल खसरा 11 कुल रकबा 12.90 हैक्टर में खातेदारी विधिवत दर्ज हुई है। वादीगण की माता शारदा देवी पत्नी स्व. रविन्द्र कुमार के पक्ष में विक्रय–पत्र रज्जाक पुत्र लाबदी खॉ द्वारा निष्पादित करने पर पर खातेदारी दर्ज हुई शारदादेवी के फौत होने के पश्चात उक्त भूमि रकबा 16 बीघा 12 बिस्वा उसके विधिक वारिसान वादीगण के नाम भूमि दर्ज हुई। मिस बन्दोबस्त सम्वत 2008–2027 ग्राम कुचामन अनुसार खसरा नम्बर ५७० रकबा १६३ बीघा १७ बिस्वा बारानी बोदू वल्द उदा बालू वल्द चुना दुल्हा वल्द मुना कौम कुम्हार १० बीघा खातेदार मकबुजा खुद १८३ बीघा १७ बिस्वा दर्ज है, नकल खतौनी सम्वत 2010–2013 मं उपरोक्तानुसार इन्द्राज दर्ज है, सम्वत 2018–2021 में उपरोक्तानुसारं प्रविष्टि दर्ज है, सम्वत 2022–2025 में ग्राम कुचामन अनुसार खसरा नम्बर ५७० रकबा १६३ बीघा १७ बिस्वा बारानी बोदू वल्द उदा बालू वल्द चुना दुल्हा वल्द मुना कौम कुम्हार १० बीघा खातेदार मकबुजा खुद १२० बीघा ५ बिस्वा छोटू वल्द नून्दा १६ बीघा १२ बिस्वा हणमाना पुत्र बुधा १४ बीघा मोती पुत्र छोटू १० बीघा खेता पुत्र माना २३ बीघा सा.देह खातेदार दर्ज है, सम्वत 2026–2029 अनुसार ग्राम कुचामन अनुसार खसरा नम्बर ५७० रकबा १६३ बीघा १७ बिस्वा बारानी बोदू वल्द उदा बालू वल्द चुना दुल्हा वल्द मुना कौम कुम्हार १० बीघा छोटू वल्द नून्दा १६ बीघा १२ बिस्वा हणमान पुत्र बुधा १४ बीघा मोती पुत्र छोटू १० बीघा खेता पुत्र माना २३ बीघा सुरजा पुत्र छोटू २० बीघा कौम महरा सा.देह खातेदार मकबूजा खुद १०० बीघा १ बिस्वा दर्ज है, नकल खतौनी सम्वत 2030–2033 में ग्राम कुचामन अनुसार खसरा नम्बर ५७० रकबा १६३ बीघा १७ बिस्वा बारानी बोदू वल्द उदा बालू वल्द चुना दुल्हा वल्द मुना कौम कुम्हार १० बीघा सुण्डा हिरा मोती सोना पि. छोटू महरा १६ बीघा १२ बिस्वा स्योजी गंगा बिशन काना पि. हड़मान मेहरा १४ बीघा, मंगला गिरदारी बालू काना पि मोती मेहरा १० बीघा खेता पुत्र माना २३ बीघा कुम्हार युसुफ खॉ युनुस खॉ पि. घीसू खॉ कौम कायमखानी २० बीघा (६३ बीघा १२ बिस्वा) सा.देह खातेदार दर्ज है, सम्वत 2033–2036 ग्राम कुचामन अनुसार खसरा नम्बर ५७० रकबा २४ बीघा १२ बिस्वा में गिरधारीसिंह पुत्र नारायणसिंह राजपूत १२ बीघा ६ बिस्वा सायरसिंह पुत्र नारायणसिंह राजपू १२ बीघा ६ बिस्वा सा. जूसरी खातेदार दर्ज है, खसरा नम्बर ५७० रकबा ६३ बीघा ७ बिस्वा में बोदू वल्द उदा बालू वल्द चुना दुला वल्द मुना कौम कुम्हार १० बीघा श्रीमति शारदादेवी धर्म पत्नी रविन्द्र कुमार शर्मा सा. कुचामन १६ बीघा १२ बिस्वा खातेदार ,स्योजी गंगा बिशन काना पि. हड़मान मेहरा १४ बीघा, मंगला गिरदारी बालू काना पि मोती मेहरा १० बीघा खेता पुत्र माना २३ बीघा कुम्हार युसुफ खॉ युनुस खॉ पि. घीसू खॉ कौम कायमखानी [illegible] है, सम्वत 2037–2040 ग्राम कुचामन अनुसार खसरा नम्बर ५७० रकबा [illegible] ७ बिस्वा में लादुराम पुत्र बोदू मांगूराम पुत्र बालू दुला वल्द मुना [illegible] शारदादेवी धर्म पत्नी रविन्द्र कुमार शर्मा सा. कुचामन [illegible] खातेदार ,स्योजी गंगा बिशन काना पि. हड़मान मेहरा १४ बीघा, मंगला गिरदारी बालू काना पि मोती मेहरा १० बीघा खेता

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.02.13 14:51:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

पुत्र माना २३ बीघा कुम्हार युसुफ खॉ युनुस खॉ पि. घीसू खॉ कौम कायमखानी २० बीघा सा.देह खातेदार दर्ज है, नकल खतौनी सम्वत 2030–2033 अनुसार नामा. 438 अब्दुल रज्जाक के नाम दर्ज तथा नामा. सं. 471 से अब्दुल रज्जाक के द्वारा बेचान करने पर शारदा देवी पत्नी रविन्द्रकुमार के खातेदार दर्ज हुई। शारदा देवी द्वारा खसरा नम्बर 570 में से 16 बीघा 12 बिस्वा जरिये रजिस्टर्ड बेचान क्रय की गई। जिसके आधार पर नामान्तरकरण सं. ७७१ से खातेदारी दर्ज हुई। उपरोक्त सर्म्पूण विवेचन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि वादीगण की खरीदसुदा भूमि रही है तथा कब्जा काश्त लगातार चला आ रहा है, माननीर न्यायालय अपर कलक्टर महोदय नागौर के निर्णय19.04.2002 में पक्षकार वादीगण की माता को किसी प्रकार से सुनवाई का अवसर नही दिया जाकर भूमि को सीलिंग के अन्तर्गत मानते हुए सरकार के खाते में दर्ज कर दी गई। उपरोक्त भूमि को पुनः वादीगण अपने नाम खातेदारी दर्ज करवाने के अधिकारी है। शारदा देवी की मृत्यु होने पर उसके वारिसान के नाम भूमि दर्ज होनी है जो वाद में वादी पक्षकारान है जिनके नाम खातेदारी दर्ज की जानी है। उपरोक्त राजस्व रेकार्ड, नामान्तरकरण नकलो, साक्ष्य सबूतो अनुसार वाद वादीगण साबित है। इसलिए तनकी संख्या 1 वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी सं. 2– को साबित करने का भार प्रतिवादी सं. 1 पर रहा। जिन्होने केवल नामान्तरकरण सं.1463 ग्राम कुचामन की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की, अन्य किसी प्रकार का मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया। ऐसे किसी भी दस्तावेज से राजकीय भूमि दर्ज रहने के सबूत उपलब्ध नही है। जबकि वादग्रस्त भूमि वादीगण की खातेदारी कब्जा सुदा भूमि दर्ज चली आई है तथा माननीय अपर कलक्टर नागौर के आदेश अनुसार भूमि को सीलिंग की मानते हुए राजकीय दर्ज की गई, जिसमें पक्षकारान वादीगण को समुचित सुनवाई नही दिया गया है, तथा समस्त प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड इत्यादि वादीगण के पक्ष में साबित है। अतः तनकी सं. 2 के विरूद्व एवं वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी सं. 3 अनुतोष :– उपरोक्त तनकी सं. 1 एवं 2 वादीगण के पक्ष निर्णित की गई है। अतः प्रकरण के विवेचन से साबित है कि वाद वादीगण साबित करने में सफल रहे है। अतः वाद वादीगण काबिल डिक्री योग्य पाया गया।

आदेश

वाद डिक्री कर घोषणा की जाती है, ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 2306 रकबा 2.0900 हैक्टर, खसरा नम्बर 2307 रकबा 1.2700 हैक्टर मे से 0.4462 हैक्टर कुल रकबा 2.5362 हैक्टर भूमि में वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। तहसीलदार कुचामनसिटी को आदेश दिये जाते है कि उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट शीघ्र इस न्यायालय में प्रस्तुत करे, डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावें।

आदेश आज दिनॉक 03/02/2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बाबूलाल जाट RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.02.13 14:51:06 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इन्तेहाई
(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी मुकाम : कुचामन सिटी

बइजलास : बाबुलाल जाट (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या : 08 / 2023 **GCMS 2023/16**

वादीगण : स्व. शारदा देवी पत्नी स्व. रवीन्द्र कुमार के वारिसान

1. कनिष्ट कुमार पुत्र स्व. श्री रविन्द्र कुमार, आयु56 वर्ष, जाति ब्राह्मण, निवासी धनकोली हाउस के पीछे, कुचामन शहर,तहसील-कुचामन, जिला — नागौर (राजस्थान)
2. सुधा जोशी पुत्रीस्व. श्री रविन्द्र कुमार पत्नी श्री सत्यनारायण जोशी, आयु 55 वर्ष, जाति ब्राह्मण, निवासी मुरलीपुरा, जयपुर (राजस्थान)
3. दुर्गा प्रसाद शर्मा पुत्र स्व. श्री रविन्द्र कुमार, आयु 46 वर्ष, जाति ब्राह्मण, निवासी कुचामन सिटी हाल निवासी प्रताप नगर, जयपुर (राजस्थान)
4. अनुसूया पुत्रीस्व. श्री रविन्द्र कुमार पत्नी श्री रमेश शर्मा , आयु 45 वर्ष, जाति ब्राह्मण, निवासी पादूंकलां तहसील मेड़ता जिला नागौर (राजस्थान)
5. मधु जोशी जोशी पुत्रीस्व. श्री रविन्द्र कुमार पत्नी श्री कैलाश चन्द जोशी, आयु 44 वर्ष, जाति ब्राह्मण, निवासी मुरलीपुरा, जयपुर (राजस्थान)

बनाम

प्रतिवादीगण :

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, तह.-कुचामन, जिला नागौर (राजस्थान)
2. पटवारी हल्का कुचामन सिटी, तहसील-कुचामन, जिला — नागौर (राजस्थान)

वाद-पत्र बाबत घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88एवं 188 राज.का. अधि. 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू वकील श्री अशोकपुरी अधिवक्ता हाजिरी मिनजानिब मुदई रू–बरू राजकीय पैरोकार प्रति. सं. 1 मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है **वाद डिक्री कर घोषणा की जाती है, ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 2306 रकबा 2.0900 हैक्टर, खसरा नम्बर 2307 रकबा 1.2700 हैक्टर मे से 0.4462 हैक्टर कुल रकबा 2.5362 हैक्टर भूमि में वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। तहसीलदार कुचामनसिटी को आदेश दिये जाते है कि उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट शीघ्र इस न्यायालय में प्रस्तुत करे, डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावें।** निज .... मुबलिग .... बाबत.................. खर्चा इस मुकदमे के मय सूद शरह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 03 माह 02 सन् 2023 को जारी की गई।

(मुहर)

दस्तखत..............................
ओहदा.... उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकिल		
महन्ताना वकिल			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मीजान		
मीजान					

नोटः इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे वह मिसल के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.02.13 14:51:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)